तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23/5/24	पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है/और पद रिक्त/दीगर राज कार्यों में व्यस्त है/............ अत: पत्रावली दिनांक 30/5/24 को पेश हो।
30/5/24	पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है/और पद है/दीगर राज कार्यों में व्यस्त है/............ अत: पत्रावली दिनांक 5/7/24 को पेश हो।
24/06/24	पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर (भू.अ.) जोधपुर के आदेश क्रमांक एफ-9/14/7/5/भू.अ./2024/5927 दिनांक 18 जून 2024 की पालना में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (F.T.) जोधपुर को स्थानान्तरित की जाती है। पक्षकारान आगामी दिनांक 29/07/2024 को वहां उपस्थित रहें।
	यह पत्रावली .... कोर्ट जोधपुर से श्रीमान .... के आदेशानुसार स्थानान्तरण .... प्राप्त हुई है। नये नम्बर पर .... पक्षकार उपस्थित .... दिनांक 29/7/24 वास्ते .... को पेश हो।
29/7/24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। .... कार्यवाही नहीं होने के कारण .... दिनांक 07/8/24 .... को पेश हो।
07/08/24	पत्रावली पेश। वकुलाय उप.। उभयपक्ष बहस सुनी गई। मुताबिक बहस अधि. प्रार्थी" प्रार्थिनी स्व. ऊकाराम की पुत्री है, अप्रार्थी सं. 01, 02, 04 ऊकाराम के पौत्र, पौत्री एवं अप्रार्थी सं. 03 ऊकाराम की पुत्रवधु है प्रार्थिनी के 03 भाईयों में से 02 भाई लाऔलाद फौत हो गए। प्रार्थिनी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

का तीसरा भाई जेठाराम गोद चला गया। ग्राम भटिण्डा, ख. सं. 874, 875, 878 का खातेदार ऊकाराम था। ऊकाराम की मृत्यु के बाद revenue record में केवल पुत्रों का नाम दर्ज हुआ और प्रार्थिनी का नाम नहीं आया। अप्रार्थीगण प्रार्थिनी को ~~बाला~~ बेदखल करना चाहते हैं, अतः उन्हें पाबंद किया जावे।"

मुताबिक बहस अधि. अप्रार्थी- "प्रार्थिनी ऊकाराम की पुत्री ना होकर ऊकाराम की बहन की पुत्री है। प्रार्थिनी के माता-पिता व पति ऊकाराम की अनुमति से ख. सं. 874 में ढाणी बनाकर निवास कर रहे हैं। जेठाराम कभी गोद नहीं गया था। अतः प्रा. पत्र खारिज फरमाया जावे।" अधि. अप्रार्थी द्वारा तहसीलदार, जोधपुर एवं ग्राम पंचायत भटिण्डा से प्राप्त सजरा खानदान की flag किया गया।

उपरोक्त तथ्यों, बहस, दस्तावेजों के आधार पर प्रथम-दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन ख. सं. 875, 878 के लिए प्रार्थिनी के पक्ष में साबित नहीं होते। चूंकि प्रार्थिनी एवं अप्रार्थीगण दोनों पक्षों ने यह स्वीकार किया है कि ख. सं. 874 में प्रार्थिनी द्वारा ऊकाराम की सहमति से ढाणी निर्माण किया गया है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि ताफैसला मूलवाद ख. सं. 874 के मौका एवं record की यथास्थिति बनाए रखें। आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल- शुमार होकर दाखिल-दफ्तर हो।

Priyanka

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) जोधपुर — सत्यमेव जयते